



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

दिनांक : 12.02.25

क्रमांक : स्था/विज्ञप्ति/चतु.श्रे./2025/ 611

—:विज्ञप्ति:—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेशांक एफ.7(136)रालसा/संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2025/65 दिनांक 04.02.2025 के प्रासंगिक राज.सरकार विधि विभाग की आज्ञा संख्या प. 08(1)विधि-2/विरसं(64)/2015 पार्ट II दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 01.03.2025 से 31.03.2026 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पहले हो के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय, नियंत्रणाधीन स्थाई लोक अदालत, सीकर एवं तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना, श्रीमाधोपुर, फतेहपुर, दांतारामगढ, लक्ष्मणगढ, रींगस हेतु सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा सेवा/राज्य सरकार के विभागों से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएँ निम्नानुसार ली जानी हैं:-

क्र.सं	कार्यालय	स्वीकृत (चतुर्थ श्रेणी) संविदा सेवा
01	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीकर	04
02	स्थायी लोक अदालत, सीकर	02
03	तालुका विधिक सेवा समिति, नीमकाथाना	01
04	तालुका विधिक सेवा समिति, श्रीमाधोपुर	01
05	तालुका विधिक सेवा समिति, फतेहपुर	01
06	तालुका विधिक सेवा समिति, दांतारामगढ	01
07	तालुका विधिक सेवा समिति, लक्ष्मणगढ	01
08	तालुका विधिक सेवा समिति, रींगस	01
कुल		12

उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप पारिश्रमिक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के तहत देय होगा। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा :-

1. समय-समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी
2. सेवानिवृत्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में विपरीत प्रतिनियुक्ति पर संबंधित विभाग के माध्यम से उनके कर्मचारी। (न्यायिक कर्मचारी को प्राथमिकता दी जावेगी।)

ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं हुई है वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेंगे। उक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएँ राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के अधधीन प्रभावी रहेगी। उक्त सेवाएँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थाई लोक अदालत एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदों के अनुसार ली जावेगी।

उपरोक्त संवर्ग में सेवाएँ देने के इच्छुक व्यक्ति दिनांक 18.02.2025 को प्रातः अपरान्ह 01:00 बजे तक अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर संलग्न दस्तावेजात सहित (आवेदन के साथ सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा) जरिये ई-मेल dlsa32sikar@gmail.com अथवा व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन फॉर्म



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सािकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

<https://districts.ecourts.gov.in/sikar> की वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे District Court, Sikar की उक्त वेबसाईट का अवलोकन अन्य निर्देशों बाबत करते रहें।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सीकर

क्रमांक : 619

दिनांक- 12.02.25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. माननीय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर ।
2. श्रीमान् अध्यक्ष/सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान ।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सीकर को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त सीकर न्यायक्षेत्र ।
5. जिला नियोजन अधिकारी, सीकर ।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, सीकर को समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय, सीकर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
8. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा ।
9. रक्षित पत्रावली ।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सीकर



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, साकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, साकर

राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों/विपरीत प्रतिनियुक्ति के संविदा पद पर पुनर्नियुक्ति के संबंध में आवेदन का प्रारूप
चतुर्थ श्रेणी संविदा पद 01/2025

1. कर्मचारी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. सेवा का नाम, जिससे संबंधित हैं
4. जन्म तिथि और अंतिम आहरित वेतन.....
5. मूल विभाग का नाम.....
6. सेवानिवृत्ति के समय धारित पद.....
7. धारित पद का वेतनमान सेवा निवृत्ति के समय.....
8. अनुभव.....
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)
(एल पी सी संलग्न करें).....
10. मूल पेंशन राशि (पी.पी.ओं. संलग्न करें),.....
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र.....
12. स्थाई पता
13. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के संबंध में वचनबंध

अधोहस्ताक्षरकर्ता राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं एफ.17(10)डी.ओ.पी./ए-11/94 दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत हैं और वचन देता हैं।

स्थान :

दिनांक

सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी के हस्ताक्षर



जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीकर

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर, सीकर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती
पुत्र/पत्नी श्री जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर
विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर
सत्यापित किया जाता है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की
कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक
रहा था और सरकार में समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति वचनबंध के विचार के
लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जात है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती
..... रु. मासिक मूल वेतन..... आहरित
कर रहा था/रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिकी
आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है और श्री/श्रीमती
..... के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा
इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रहीं हैं, उससे किसी प्रकार नियमित
कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

दिनांक :

क्रमांक :

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं सील